FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

मनीराम बनाम मेरूखां वगैरह

किस्म मुकदमा :–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 80/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
28-12-23	पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र का संक्षित सार इसप्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से चक 13 केएलडी मु0नं0 199/09 के किला नं0 14 ता 17, 24 ता 25 की तादादी 1.2646 हैक्टर खातेदारी दर्ज कागजात है एवं चक 13 केएलडी के मु0नं0 199/18 के किला नं0 1 के कटान रास्ता से मु0नं0 199/17 के किला नं0 21 में 1 बिस्वा यानि 0.1265 हैक्टर उतरादी सींव पर रास्ता पूर्व से पश्चिम स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता खेत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया है। पत्रावली सर्वप्रथम दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के उपरान्त हाजिर नहीं। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट ली गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार चक 13 केएलडी मु0नं0 199/09 के किला नं0 14 ता 17, 24 ता 25 की तादादी 1.2646 हैक्टर रकबा को मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी कोई कटान शुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौके पर प्रार्थी द्वारा मु0नं0 199/18 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 कटान शुदा रास्ते से होकर मु0नं0 199/17 के किला नं0 21 में से होकर अस्थाई रूप से खेत में जाने के लिए रास्ता उपयोग में ले रहे है। मौके पर प्रार्थी द्वारा उपयोग में लिया जा रहा एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया उक्त मु0नं0 199/17 के किला नं0 21 में से रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कटान किया जाना उचित होगा। पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 251 ए में प्रदत्त प्रावधानों एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे न्यायहित में स्वीकार किया जाता है एवं चक 13 केएलडी के मु0नं0 199/17 के किला नं0 21 में 1 बिस्वा यानि 0.1265 हैक्टर उतरादी सींव पर रास्ता पूर्व से पश्चिम स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी राशि नियमानुसार जमा करावें एवं आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।	